कार्यालय जिला कलक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in
☎.:0141-2209003 Fax:0141-229003 Email: oic.relief.jpr@gmail.com

क्रमांक / प. 1( )सहा. / कम्प्यू.ऑप. / 2022 / 1710 दिनांक : 9.12.22

वित्तीय सलाहकार
आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान।

विषयः बजट राशि आवंटन बाबत्।
प्रसंगः संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ.3(4)आ.प्र. एवं सहा. / स्था. / 2012 / 3222–26 दिनांक 24.02.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के अनुक्रम में लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ.3(4)आ.प्र. एवं सहा. / स्था. / 2012 / 3222–26 दिनांक 24.02.2022 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति द्वारा एक कम्प्यूटर मय ऑपरेटर विभिन्न आपदाओं से संबंधित सूचनाए ऑनलाईन किए जाने एवं ऑनलाईन बजट मांग आदि हेतु एजेन्सी के माध्यम से राज्य के 33 जिलों मे 01–01 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर रखे जाने की संविदा सेवाओं की अवधि दिनांक 01.03.2022 से 28.02.2023 तक बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, के अनुक्रम में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 01.07.2022 से निविदा उपरान्त संवेदक फर्म मैसर्स मार्स नेट कम्प्यूटर, 124 लक्ष्मी नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर के माध्यम से निरन्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की शर्तो के अनुसार सेवाऐं ली जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसरण में एक कम्प्यूटर मय ऑपरेटर निरन्तर रूपये 13604 / – प्रतिमाह की दर से ली जा रही है, इस हेतु विभाग द्वारा पूर्व में आवंटित बजट में से राशि रू. 100921 / – के बिलों का भुगतान किया जा चुका है।

चूंकि पूर्व में इस कार्यालय द्वारा बजट मांग राशि का आवंटन विभाग द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को पूल माध्यम से आवंटन किया गया है, जिसमें वर्तमान में माह नवम्बर 2022 के बिल के भुगतान हेतु बजट राशि उपलब्ध नहीं होना पे–मेनेजर पर अंकित हो रहा है। अतः अब आगामी अवधि हेतु 13604 / – प्रतिमाह की दर से माह नवम्बर 2022 से फरवरी 2023 तक राशि रूपये 13604X4=54416 / – (अक्षरे रू. चौवन हजार चार सौ सौलह मात्र) की आवश्यकता होगी।

कृपया राशि रू. 54416 / – (अक्षरे रू. चौवन हजार चार सौ सौलह मात्र) का बजट मद 2245–01–800–03–07–29 में कराने का श्रम करावें।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी सहायता
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
नगर–दक्षिण, जयपुर